अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2.6.23	भींया बनाम पूसा (मृतक) सोनाथ वगैरह (2023/174) पत्रावली वास्ते जवाब व सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से श्री शौकिन्दलाल गुर्जर एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्राथमिक आपत्ति बाबत् अपील संधारण योग्य नहीं पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रकरण की पैरवी करने हेतु प्रार्थीगण ने अपना अभिभाषक नियुक्त कर रखा था जिन्होने प्रार्थीगण/अपीलांटस को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नही है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें किन्तु अभिभाषक के द्वारा न तो प्रार्थीगण/अपीलांटस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिये जाने से प्रार्थीगण/अपीलांटस को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है वह संतोषजनक व सदभाविक होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात प्राथमिक आपत्ति बाबत् अपील संधारण योग्य नहीं का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी पूसा के बाद उनके वारिसान सोनाथ पुत्र पूसा एवं जमनी पुत्री पूसा में एक अधिकार निहित होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 जमनी पुत्री पूसा का वर्णित आराजी में अपने निहित हक हिस्से की आराजीयात केवियटकर्ता महेन्द्र पुत्र सोनाथ एवं सोनू पुत्र सोनाथ ने जरिये पजींकृत दस्तावेज से क्रय की तथा क्रय के पश्चात राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2070 लगायत 2076 में 1/8 हिस्से के इन्द्राज दर्ज होकर हक व अधिकार निहित हो चुके है। अपील में वर्णित आराजी के लिप्त पक्षकार को बउनवानी अपील में पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है इसलिए प्रस्तुत अपील जो आदेश 01 नियम 09 जा.दी. के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपीलांट ने जो अपील प्रस्तुत की जिसमें पक्षकार के अभाव में संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में एकमात्र वादी पूसा पुत्र स्व.श्री उगमा का देहानत दिनांक 05.11.2019 को चुका था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाद समयावधि स्वतः अबेट हो चुका था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अबेट वाद में कार्यवाही करते हुए अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है तथा पूसा की पुत्री जमनी ने अपना हिस्सा महेन्द्र व सोनू पुत्रान सोनाथ को कब बेचान किया उसकी जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण में उनको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, जो सदभाविक त्रृटि है जिसको क्षमा किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अपीलांट में	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	श्री	श्री

यह ध्यान में आने से उनका पक्षकार मुर्तिब करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अबेट हो चुका था फिर भी वाद में निर्णय/डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं है इसलिए अपील प्राथमिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट 1/1 के द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति बाबत् अपील संधारण योग्य नहीं खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की है तथा अपीलांट ने सम्पूर्ण पक्षकार को मुर्तिब किये बिना ही यह अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि उपरोक्त कारणों से यह अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है तथा वादी के फौत हो जाने के पश्चात निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा वाद निर्णित होने के पश्चात प्रार्थीया जमनी द्वारा अपना हिस्से का बेचान महेन्द्र व सोनू पुत्रान सोनाथ को किये जाने के कारण उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार की किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्याालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 34/2014(2014/00072) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त राजस्व वाद में महेन्द्र व सोनू पुत्रान सोनाथ का पक्षकार संयोजित करते हुए प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त कर उक्त वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनीकयात कायम कर तथा उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर नए सिरे से इस आदेश से 60 दिवस में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 20.06.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर